



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1940 (श०)

(सं० पटना 261) पटना, शुक्रवार 23 मार्च 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2018

अधिसूचना संख्या— 10 / 2018 राज्य कर (दर)

एस. ओ. 154 दिनांक 23 मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद की सिफारिश पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, संख्या 551 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० 08 / 2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 और सं० 969 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना सं० 38 / 2017—राज्य कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा—

उक्त अधिसूचना में, “31 मार्च 2018” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून, 2018 अंक और शब्द रखा जाएगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—835]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

23 मार्च 2018

एस०ओ० 154 दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—835]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

*The 23<sup>rd</sup> March 2018*

**Notification No. 10/2018-State Tax (Rate)**

S.O. 154, Dated 23<sup>rd</sup> March 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department, No.8/2017 – State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 551, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- State Tax (Rate), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 969, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “31<sup>st</sup> day of March, 2018”, the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of June, 2018” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-I)835)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

*Commissioner Commercial Taxes.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>